हरियाणा सरकार
श्रम विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25/10/2021

क्रमांकः–F.Act/Exmp./NS/ 77 श्रम विभाग, हरियाणा की अधिसूचना क्रमांक संख्या 11/45/2017–4श्रम दिनांक 17.08.2017 के सन्दर्भ में, राज्य सरकार, हरियाणा, **मैसर्ज अमेर इंटरप्राईसिस इंडिया लिमिटेड, प्लोट नं0 पी–14, गली नं0 1, सैक्टर–3, मोडल ईकोनोमिक टाउनशिप, गांव दादरी टोई, जिला झज्जर, हरियाणा** को रात्रि की पाली अर्थात रात्रि 07–00 बजे से रात्रि 10–00 बजे के दौरान कारखाने में महिला श्रमिकों को नियोजित करने की अनुमति प्रदान करती है। यह अनुमति अधिसूचना के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने तारिख से एक वर्ष के लिए निम्नलिखित शर्तो पर दी जाती है:–

1. नियोजक तथा अन्य उतरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्य स्थल अथवा संस्थान में संभावित यौन उत्पीड़न के कृत्य अथवा घटना होने से रोकें तथा ऐसी घटना घटित होने पर उनका विवरण तथा अभियोजनात्मक कार्रवाई करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें।
2. सभी नियोजक अथवा कारखाना या कार्य स्थल के प्रभार के व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:–
   (i) किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न, जिसमें अवांछनीय यौन सम्बंधी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर सम्मिलित हो, जैसा कि – शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिए मॉग अथवा अनुरोध, कामासक्त फब्तियॉं, अश्लील साहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवॉछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण को निषेध किया जाए।
   (ii) यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन बाबत नियम या विनियमन् कारखाना प्रबंधक द्वारा बनाया जायेगा तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरूद्ध समुचित दण्ड की व्यवस्था के साथ कारखाने में वर्तमान में लागू स्थाई आदेश में आवश्यक संशोधन भी किया जाए।
   (iii) कारखाने में उपयुक्त कार्य दशा जिसमें कार्य करने, अवकाश के समय, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का वातावरण उपलब्ध हो, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके नियोजन से सम्बन्धित कोई अलाभकारी स्थिति है।
3. किसी आपराधिक प्रकरण की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगें कि यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाह उत्पीड़ित न हों तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव न बरता जाये। जहां कहीं आवश्यक हो, तो पीड़ीत कर्मचारी के अनुरोध पर अपराधी को बदलने या स्थानांतरित करने की यथा संभव व्यवस्था करें। नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।
4. नियोजक कारखाने में, शिकायत की सुनवाई के लिए समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करेंगे। ऐसी व्यवस्था के तहत एक शिकायत–समिति, विशेष सलाहकार अथवा अन्य सहायक सेवाएं, जिसमें गोपनीयता बनाएं रखने की व्यवस्था भी शामिल हो।
5. इस प्रकार की सभी शिकायत समिति की मुखिया एक महिला होगी तथा उसमें महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम न हो, इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि शामिल हो, जो यौन उत्पीड़न के मामलों से भलीभॉंति परिचित हो।

6. महिला श्रमिकों को श्रमिकों की बैठक में तथा अन्य उपयुक्त मंचो पर श्रमिकों के यौन उत्पीड़न के मुद्दे उठाने की अनुमति होनी चाहिए।

7. महिला कर्मचारी को उसके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाए तथा विषय संबंधित निर्देशों को प्रमुखता से अधिसूचित किया जाये।

8. जहॉ यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए, नियोजक अथवा कारखाने का अधिभारित व्यक्ति किसी अधिनियम अथवा छूट के तहत प्रभावित व्यक्ति की सहायता के लिए समर्थन और निवारक कार्रवाई के रूप में सभी प्रकार के आवश्यक तथा उचित कदम उठाये।

9. नियोजक न केवल कारखाने के अंदर, बल्कि कारखाने के चारों ओर भी तथा ऐसी समस्त जगह जहां पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पारी के दौरान आवश्यकतानुसार आती–जाती हों, प्रकाश की समुचित व्यवस्था करेंगें।

10. नियोजक यह भी ध्यान रखें कि महिला श्रमिक 10 से कम संख्या के बैच में नियोजित न की जायें तथा रात्रि पारी में कारखानों में नियोजित महिला श्रमिकों की संख्या, कुल संख्या के दो तिहाई से कम न हों।

11. रात्रि पारी के दौरान प्रवेश तथा निर्गम द्वार पर महिला सुरक्षा की समुचित व्यवस्था हो।

12. महिला श्रमिकों के समय पूर्व आगमन तथा कार्य अवधि के पश्चात् बैठने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्यशालिका की व्यवस्था हो।

13. महिला श्रमिकों के लिए पृथक कैंटीन की सुविधा उपलब्ध हो।

14. नियोजक महिला श्रमिकों को रात्रि पारी के लिए उनके घर से आने जाने हेतु सुरक्षा गार्डस युक्त (महिला सुरक्षा गार्ड सहित) परिवहन सुविधा प्रदान करेगा तथा प्रत्येक परिवहन वाहन में सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो।

15. कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त सुविधाओं के अतिरिक्त महिला श्रमिकों को माहवारी की अवधि में एक अतिरिक्त अवकाश की सुविधा भी दी जाए, जो कि रात्रि पारी के लिए सवैतनिक अवकाश के बराबर हो।

16. कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाए तथा जिस पारी में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें पृथक से एक वाहन रखा जाए ताकि चोट लगने अथवा उत्पीड़न के आकस्मिक कृत्यों जैसी तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुॅचाया जा सके।

17. जिस कारखाने में महिला श्रमिकों के लिये भोजन तथा आवास की व्यवस्था प्रदान हो, वह केवल महिलाओं के लिए हो तथा यह व्यवस्था महिला वार्डन अथवा सुपरवाईजर के नियंत्रण में हो।

18. रात्रि पारी के दौरान सुपरवाईजर या सिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ में महिलाओं की संख्या एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए।

19. महिला श्रमिकों को दिन की पारी से रात्रि की पारी तथा रात्रि की पारी से दिन की पारी में बदले जाने कि अवस्था में अंतिम पारी तथा रात्रि पारी के बीच में कम से कम 12 घंटे का निरंतर विश्राम अथवा अंतर हो।

20. कार्य घंटों के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियमों के वैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त तथा समान पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुसरण भी नियोजक द्वारा किया जायेगा।

21. नियोजक प्रत्येक रात्रि पारी में कम से कम दो महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेंगी।

22. महिला श्रमिक जो रात्रि पारी तथा नियमित पारी में काम करती हों, उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्य नियोजक के साथ मासिक बैठक तथा 8 सप्ताह में एक बार 'शिकायत दिवस' के रूप में बैठक करें तथा नियोजक सभी उचित एंव न्यायोचित शिकायतों का निस्तारण करने की कोशिश करें।

23. नियोजक आंशिक अथवा समग्र रूप से रात्रि पारी में महिला श्रमिकों को नियोजित करने हेतू स्वतंत्र होंगे, बशर्ते उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन हो।

24. नियोजक रात्रि पारी में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को प्रत्येक 15 दिन में एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा किसी भी आकस्मिक घटना का तत्काल प्रतिवेदन कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।

चण्डीगढ़
दिनांकः

पंकज अग्रवाल,
मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा,
चण्डीगढ़

पृष्ठांकन कमांक / F.Act/Exmp./NS/ 78 दिनांकः– 25/10/2021

एक प्रति नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ को भेजकर अनुरोध किया जाता है कि कृप्या उपरोक्त अधिसूचना को हरियाणा सरकार के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करके इसकी मुद्रित 30 प्रतियां इस विभाग को भेजी जाये।

अतिरिक्त निदेशक, (औ0 सु0 एवं स्वा0)
मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा,

पृष्ठांकन कमांक / F.Act/Exmp./NS/ 79–80 दिनांकः– 25/10/2021

एक–एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती हैः–

1. मैसर्ज अमेर इंटरप्राईसिस इंडिया लिमिटेड, प्लोट नं0 पी–14, गली नं0 1, सैक्टर–3, मोडल ईकोनोमिक टाउनशिप, गांव दादरी टोई, जिला झज्जर, हरियाणा।
2. कार्यालय सहायक, रिकार्ड में रखने हेतू तथा अधिसूचना को विभागीय वैब–साईट पर अपलोड करने हेतू।

अतिरिक्त निदेशक, (औ0 सु0 एवं स्वा0)
मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा,